

पत्रांक:- 898 / 18mg दिनांक:- 20 / 04 / 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:- जनपद नैनीताल में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूड़ा-क्वारब मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान लोशजानी तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- नोडल अधिकारी, देहरादून का ई०डी०एस० दि० 10.04.2019
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराया जाना है कि विषयक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया था, जिसका प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/39655/2019 है। प्रस्ताव का नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त निम्न आपत्तियाँ लगायी गयी है, आपत्तियों का निराकरण कर पुनः ऑन लाईन अपलोड किया जाना है।

आपत्तियाँ	निराकरण
1 Justification is not authenticated by DFO. Upload Justificatin at para-D (i) in form A, part-I authenticated by DFO.	महोदय इस बिन्दु के अनुसार प्रपत्र तैयार कर आपके हस्ताक्षर किये जाने हेतु चार-चार प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है। कृपया हस्ताक्षर कर प्रतियों खण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि ऑन लाईन अपलोड कर प्रेषित किया जा सके।
2 Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-A-1 (iii) of Part-I]. It should give comprehensive details of the project in brief.	पोर्टल में शार्ट नरेटिव लिखने हेतु शब्दों की सीमा बढी होने के कारण अत्यंत विस्तार में लिखा जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। खण्ड द्वारा प्रस्ताव से संबंधित आवश्यक बातें शार्ट नरेटिव में लिख दी गयी है।
3 The certificate of aerial distance of the project area is not found uploaded in Form A, part I.	एरियल डिस्टेंस का प्रमाण-पत्र पूर्व में ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट-1 में अतिरिक्त संलग्नक के रूप में क्रम सं०-25 पर 2.20 का प्रपत्र अपलोड किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, कृपया बिन्दु संख्या 1 के अनुसार संलग्न प्रपत्रों पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को उक्त प्रपत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि, प्रपत्रों को फार्म-ए के पैरा डी (1) में अपलोड कर नोडल अधिकारी को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकें।

संलग्न:- सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति एवं
प्रपत्रों की चार-चार प्रतियां कुल- 17 पृष्ठ

पत्रांक:- 898 / 18mg दिनांक:- 20 / 04 / 2019
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के सन्दर्भित ई०डी०एस० दि० 10.04.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Main Attachment -1.5

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान – नथुवाखान – प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान से लोशज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य आख्या
(Note Containing Justification For Locating The Project)

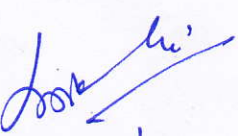
जनपद नैनीताल के लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान से लोशज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 5.00 कि०मी०) शासनादेश संख्या 2200/111(2)/57(एम०एल०ए०)/2016 टि०सी० लो० नि० अनुभाग-2 दिनांक 22.07.2016 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना है।

यह मोटर मार्ग लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान से प्रारम्भ होकर ग्राम लोशज्ञानी तक जाता है, मार्ग का समरेखण 9 मीटर चौड़ाई में निम्नानुसार 1040 मीटर लम्बाई में सिविल सोयम भूमि एवं 3960 मीटर लम्बाई में नाप भूमि से होकर गुजरता है। इस समरेखण के अनुसार 0.936 हेक्टेयर (सिविल सोयम) वन भूमि तथा 3.564 हेक्टेयर नाप भूमि आती है, जिस पर चीड़ प्रजाति के कुल 135 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। उक्तानुसार इस मार्ग के निर्माण किये जाने हेतु 0.936 हेक्टेयर का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासियों से विचार-विमर्श कर एवं मार्ग के समरेखण में पड़ने वाले पेड़ों की संख्या न्यूनतम रखते हुए तथा भू-वैज्ञानिक के सुझावों के अनुसार इस मार्ग का समरेखण तैयार किया गया है, जो अधीक्षण अभियन्ता महोदय से स्वीकृत है। इस मार्ग हेतु अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम लोशज्ञानी के (जनसंख्या-812) ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं रोजगार आदि संबंधित सुविधाओं को प्राप्त करने में सुगमता प्राप्त होगी। इस के अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं का लाभ भी ग्रामवासियों को प्रभावी तरीके से प्राप्त हो सकेगा।

अतः उपरोक्तानुसार मार्ग के समरेखण में प्रभावित होने वाली 0.936 हेक्टेयर वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रेषित है।


 सह सहायक अभियन्ता
 निर्माण विभाग, खण्ड, लो० नि० वि०
 नैनीताल।


 व. स. न.
 उत्तरी नैनीताल।


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 नैनीताल।


 उप प्रभागीय वनाधिकारी (नं०)
 नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।


 प्रभागीय वन अधिकारी
 नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

Additional Attachment- 2-20

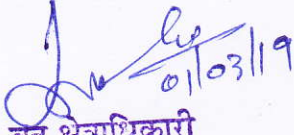
परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूडा-वपारव मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नायली नामक स्थान से लोश्झानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारूप-25

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी लगभग 70 किमी० है।

ह०/
वन विभाग


वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरी वन क्षेत्राधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल


उप प्रभागीय वनाधिकारी (ने०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल


प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल


20/03/19